FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0082 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/03/2026 19:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 23/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/03/2026 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/03/2026 19:24:34 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 45 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA ROOPBAS, JILA BHARATPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AJAY KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMBABU

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NANAKPUR, ROOPBAS, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NANAKPUR, ROOPBAS, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PARVEEN BHARDAWJ URF PARVEEN KUMAR SHARMA		पिता:LATE KIRORILAL	1. KALYAN COLONY BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		12,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 12,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अती0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर विषय- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं अजय कुमार पुत्र श्री रामबाबू जाति जाटव उम्र 31 साल निवासी नानकपुर पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मैं अजय कुमार पुत्र श्री रामबाबू जाति जाटव उम्र 31 साल निवासी नानकपुर पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर का रहने वाला हूं दिनांक 2.2.2026 को मेरे भाई लेखराज ने थाना रूपवास में मुकदमा नम्बर 54/26 दर्ज करवाया था व दूसरे पक्ष ने हमारे खिलाफ मुकदमा नम्बर 55/26 दर्ज करवाया जिसकी जांच प्रवीन एएसआई द्वारा की जा रही है तथा थानेदारजी द्वारा मुझे 15,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। मै ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हुं रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुं। मेरी प्रवीन एएसआई से कोई रंजिश नही है और न ही कोई लेन देन बकाया है। श्रीमानजी से निवेदन है कि कार्यवाही कराने की कृपा करें। एसडी अजय कुमार, प्रार्थी नाम अजय कुमार पुत्र रामबाबू जाति जाटव निवासी नानकपुर मो0 दिनांक 21.03.26 एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 21.03.26, एसडी ध्रुव कुमार शर्मा 22.03.26 एसडी ब्रज किशोर 22.03.26 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 21.03.2026 को समय 04.30 पीएम. पर परिवादी श्री अजय कुमार पुत्र श्री रामबाबू जाति जाटव उम्र 31 साल निवासी नानकपुर पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मैं अजय कुमार पुत्र श्री रामबाबू जाति जाटव उम्र 31 साल निवासी नानकपुर पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर का रहने वाला हूं दिनांक 2.2.2026 को मेरे भाई लेखराज ने थाना रूपवास में मुकदमा नम्बर 54/26 दर्ज करवाया था व दूसरे पक्ष ने हमारे खिलाफ मुकदमा नम्बर 55/26 दर्ज करवाया जिसकी जांच प्रवीन एएसआई द्वारा की जा रही है तथा थानेदारजी द्वारा मुझे 15,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। मै ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हुं रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुं। मेरी प्रवीन एएसआई से कोई रंजिश नही है और न ही कोई लेन देन बकाया है। श्रीमानजी से निवेदन है कि कार्यवाही कराने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरे द्वारा हस्तलिखित है एवं तहरीरी रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 04.50 रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से राजेन्द्र सिंह कानि. नं.106 से निकलवाकर परिवादी श्री अजय कुमार को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री राजेन्द्र सिंह कानि नं.106 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह मैमोरी कार्ड को फॉरमेट कर परिवादी श्री अजय कुमार को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी को अपनी निजी मोटरसाईकिल से एवं श्री राजेन्द्र सिंह कानि. को कार्यालय की सरकारी मोटर साईकिल से पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.20 पीएम पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 106 उपस्थित कार्यालय आया। श्री राजेन्द्र सिंह कानि. से वॉईस रिकॉर्डर को जरिये फर्द प्राप्त किया गया तथा राजेन्द्र सिंह कानि. ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं कार्यालय की सरकारी मोटरसाईकिल से और परिवादी श्री अजय कुमार अपनी स्वंय की मोटरसाईकिल से कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर के सामने पहुंचे जंहा मैने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर परिवादी श्री अजय कुमार को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद परिवादी अजय कुमार पुलिस थाना रूपवास में अन्दर गया कुछ देर बाद वापस आकर मन कानि. को बताया कि प्रवीण कुमार एएसआई साहब अपने गांव बयाना निकल गये है। मैने प्रवीण कुमार एएसआई साहब से जरिये दूरभाष वार्ता की गई तो बताया कि आप कल सुबह समय करीब 09-10 बजे थाने पर आ जाना। अतः परिवादी ने बताया कि अब कल दिनांक 22.03.2026 को रिश्वत मांग के संबध में वार्ता हो

पायेगी। इस पर आपके निर्देशानुसार मैने परिवादी को कल दिनांक 22.03.26 को रूपवास में उपस्थित मिलने की हिदायत देकर रूखसत किया व रवाना होकर एसीबी कार्यालय आया। वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 22.03.26 को समय 08.30 एएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से श्री राजेन्द्र सिंह कानि. से निकलवाकर चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई तथा विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को जरिए फर्द सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी श्री अजय कुमार को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री राजेन्द्र सिंह कानि. को सरकारी मोटरसाइकिल से रूपवास जिला भरतपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.50 एएम पर राजेन्द्र सिंह कानि. उपस्थित कार्यालय आया जिससे डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को जरिए फर्द प्राप्त किया गया। श्री राजेन्द्र सिंह कानि. ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर रूपवास पहुंचा जहां परिवादी श्री अजय कुमार मुझे उपस्थित मिला जिसको मैने वॉइस रिकॉर्डर को अपना परिचय देकर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस थाना रूपवास में भेज दिया कुछ समय बाद परिवादी बाहर आया जिससे मैंने वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया परिवादी ने मुझे बताया कि श्री प्रवीण कुमार एएसआई साहब मुझे थाने के अंदर मिले जिन्होंने मेरे व मेरे परिवारजनों के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में से नाम निकालने की एवज में 15000 रूपये की मांग की एवं मेरे निवेदन करने पर 12000 रूपये रिश्वत लेने के लिए सहमत हो गया। तत्पश्चात जरिए वाटसअप कॉल मैंने आपको सारे घटनाक्रम से अवगत कराया एवं आपके निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वत राशि का इंतजाम करने व कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत देकर रूखसत कर रवाना होकर एसीबी कार्यालय आया। सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया एवं डिजीटल वॉईस रिकॉडर को राजेन्द्र सिंह कानि0 सुपुर्द किया गया। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 23.03.26 को समय 08.00 एएम पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि. ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिए दूरभाष बताया कि परिवादी श्री अजय कुमार मय रिश्वत राशि 12000 रूपये के उपस्थित कार्यालय आया है जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक को जरिए दूरभाष निर्देशित किया कि परिवादी श्री अजय कुमार को कार्यालय में बिठाया जाए एवं ट्रेप कार्यवाही के लिए दो गवाह एवं ट्रेप टीम व ट्रेप सामग्री लेकर सरकारी वाहन से आगरा भरतपुर रोड पर स्थित माडर्न्ा स्कूल के पास मिले। इस पर श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 09.45 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर तहसीलदार तहसील भरतपुर के पदनाम तहरीर जारी कर श्री यशपाल सिंह कानि. को वास्ते लाने स्वतंत्र गवाह कार्यालय तहसीलदार तहसील भरतपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री यशपाल सिंह कानि. दो स्वतंत्र गवाह श्री ध्रुव कुमार शर्मा व ब्रजकिशोर को लेकर उपस्थित कार्यालय आया। इसके बाद समय 10.30 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री रवि कुमार हैडकानि. 52 द्वारा कार्यालय के मालखाना को खुलवाया जाकर श्री सतेन्द्र कुमार कानि. 45 से कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उसे सरकारी गाडी के डैशबोर्ड में रखवाया जाकर एवं श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 के पास पूर्व से सुपुदशुदा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर एवं एक नया एसडी कार्ड लेकर श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री अजय कुमार मय श्री रितेश कुमार कानि. 64 , श्री विनोद कुमार कानि. 114 , दिलीप कुमार कानि. 610 , श्री गोकुलेश कानि. 454, श्री लोकेश कानि. 85, श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106, श्री सतेन्द्र कुमार कानि. 45 मय ट्रेप बॉक्स , लैपटॉप प्रिन्टर, वीडियाकैमरा मय सरकारी गाडी मय कार्यवाही की पत्रावली के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के बताए गये स्थान भरतपुर आगरा रोड मॉडर्न स्कूल के पास रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 10.45 एएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय हमराही जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री अजय कुमार मय ट्रेप बॉक्स , लैपटॉप प्रिन्टर, वीडियाकैमरा मय फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा , डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर व एक नया एसडी कार्ड मय कार्यवाही की पत्रावली मय सरकारी गाडी के भरतपुर आगरा रोड मॉडर्न स्कूल के पास ट्रक लेबाई लेन के पास उपस्थित आया। जहां मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय श्री संतोष कुमार हैड कानि0 58 के उपस्थित मिला। श्री रीतराम सिंह एएसआई के साथ आये स्वतंत्र गवाहान से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः ध्रुव कुमार शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 42 साल निवासी मकान नं. 137 नीम दा गेट पुलिस थाना अटलबंद जिला भरतपुर हाल गिरदावर कार्यालय तहसीलदार तहसील ,भरतपुर व श्री ब्रजकिशोर पुत्र श्री वासुदेव प्रसाद जाति जाटव उम्र 47 साल निवासी मकान नं. 44 विकास नगर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल गिरदावर कार्यालय तहसीलदार तहसील ,भरतपुर होना बताया। उक्त गवाहान का परिचय साथ आये परिवादी श्री अजय कुमार से करवाया गया एवं परिवादी श्री अजय कुमार द्वार करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर अब तक

सम्पन्न हुई कार्यवाही से भी अवगत कराया। इसके बाद परिवादी द्वारा पेश की तहरीरी रिपोर्ट को दोनो गवाहों को पढवाया जाकर उनसे ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की अनुमति चाही गई तो दोनो गवाहों ने अपनी अपनी मौखिक सहमति दी एवं प्रमाण स्वरूप परिवादी द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 11.10 एएम पर मौतविरान के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री अजय कुमार पुत्र श्री रामबाबू जाति जाटव उम्र 31 साल निवासी नानकपुर पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर से आरोपी प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 24 नोट भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 12,000/-(बारह हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किये पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात सरकारी गाडी के डैशबोर्ड से श्री सतेन्द्र कुमार कानि नं. 45 से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा मंगवाया जाकर सरकारी गाडी के अन्दर एक सफेद कागज के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री सतेन्द्र कुमार कानि से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री अजय कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री ध्रुव कुमार शर्मा से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 12,000/-रूपये के नोटों को श्री सतेन्द्र कुमार कानि से परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत देने की स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री ध्रुव कुमार से सरकारी गाडी में रखी पानी की बोतल में से एक ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकालकर उसमें साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सतेन्द्र कुमार कानि के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को रोड के साइड में फिकवाया गया व काम में लिये गये कागज व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर के डिब्बा को बंद ढक्कन कराकर श्री सतेन्द्र कुमार कानि के पास रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्ेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 16 जीबी डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री सतेन्द्र कुमार कानि नं. 45 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे के साथ एसीबी कार्यालय भरतपुर बाद हिदायत रवाना किया गया।फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 11.45 एएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री रितेश कुमार कानि. 64 , श्री विनोद कुमार कानि. 114 , श्री गोकुलेश कानि. 454, श्री लोकेश कानि. 85, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स , लैपटॉप प्रिन्टर, वीडियाकैमरा मय सरकारी गाडी से आगे आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री अजय कुमार मय श्री दिलीप सिंह कानि. व श्री राजेन्द्र सिंह कानि. तथा श्री संतोष कुमार हैडकानि. के प्राइवेट वाहन से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रूपवास रवाना होकर समय 12.05 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के रूपवास पहुंचा जहां थोडी देर बाद परिवादी के मोबाइल नम्बर से आरोपी के मोबाइल नम्बर पर कॉल करवाया गया तो आरोपी ने फोन नही उठाया और थोडी देर बाद आरोपी का फोन आया कि मैं कोर्ट में हूं अभी घंटे भर का टाइम लगेगा। उक्त वार्तालाप मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करवाया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के आरोपी के आने के इंतजार में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए कस्बा रूपवास मुकीम रहा। तत्पश्चात समय 04.27 पीएम पर परिवादी श्री अजय कुमार के मोबाइल पर आरोपी के मोबाइल से फोन आया कि मैं आधा पोने घंटे में थाने पर पहुंच रहा हूं आप थानें पर आ जाओं। उक्त वार्तालाप मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करवाया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहन के आरोपी के आने के इंतजार में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पुलिस थाना रूपवास के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा रहा

तत्पश्चात सयम 05.07 पीएम पर परिवादी श्री अजय कुमार के मोबाइल पर आरोपी के मोबाइल से फोन आया कि मैं थाने पर आ गया हूं आप आ जाओ इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अजय कुमार को आरोपी प्रवीण एएसआई से मिलने के लिए रवाना पुलिस थाना रूपवास किया किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के नियत इशारे के इंतजार में पुलिस थाना रूपवास के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुआ। इसके बाद समय 05.20 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री अजय कुमार के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के पुलिस थाना रूपवास के सामने के रोड से रवाना होकर पुलिस थाना रूपवास के मैनगेट से होते हुए थाना परिसर में पहुंचा जहां पर परिवादी श्री अजय कुमार उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने पूछने पर परिसर में सहायक उप निरीक्षक की वर्दी में खडे एक व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि ये ही प्रवीण कुमार एएसआई हैं जिन्होंने मेरे से अभी अभी रिश्वत के 12000 रूपये लेकर अपने पहनी हुई वर्दी के पेंट के दाहिने जेब में रख लिये एवं तुरंत ही रूपये पेंट की जेब से निकालकर वर्दी की शर्ट की सामने की दाहिने जेब में रख लिये हैं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए वर्दी में खडे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रवीण कुमार भारद्वाज पुत्र स्व. श्री किरोडीलाल उम्र 49 साल जाति ब्राहम्ण निवासी कल्याण कोलोनी बयाना पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर होना बताया इस पर आरोपी प्रवीण कुमार भारद्वाज को डिटेन किया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान , मय स्वतंत्र गवाहान मय डिटेनशुदा आरोपी के पुलिस थाना रूपवास के थानाधिकारी कक्ष में पहुंचा जहां आरोपी से परिवादी श्री अजय कुमार से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो बताया कि मैं नवम्बर 2025 से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पुलिस थाना रूपवास में तैनात हूं। मैं प्रकरण सं. 55/26 का अनुसंधान कर रहा हूं । जिसमें अजय कुमार व छः अन्य लोग आरोपी हैं। अजय कुमार बार बार मेरे पास मुकदमें में से नाम निकलवाने के लिए आ रहा था जिस पर मेरे द्वारा कई बार अजय कुमार को बताया कि कानूनन और अनुसंधान से जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी और जो लेग प्रकरण में वास्तविक आरोपी हैं उनके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया जावेगा। इसके अतिरिक्त मैंने अजय कुमार से वार्तालाप नही की फिर भी इसके बार बार थाने पर आकर नाम निकलवाने के लिए कहना जारी रहा आज अजय कुमार मेरे पास आया और कुछ रूपये मुझे दे दिये और कहा कि आप अपने हिसाब से काम कर देना मैं उक्त रूपयों के सम्बंध में अजय कुमार से बात कर रहा था तब तक आप आ गये मैं अजय कुमार से कभी भी रिश्वत राशि की मांग नही की इस पर पास में खडे परिवादी अजय कुमार ने कहा कि थानेदार जी झूंठ बोल रहे हैं दिनांक 02 फरबरी 2026 को हमारा झगडा पडौसियों से हुआ था जिस पर मेरे भाई द्वारा पुलिस थाना रूपवास में मुकदमा दर्ज करवाया था तथा पडौसियों ने भी हमारे विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था जिसकी जांच प्रवीण कुमार थानेदार जी कर रहे थे जिन्होने मेरे से हमारे विरूद्ध दर्ज मुकदमें मे से नाम निकालने के लिए 15,000 रूपये रिश्वत की मांग की और मेरे निवेदन करने पर 12000 रूपये रिश्वत लेने के लिए सहमत हो गये थे। आज दिनांक 23.03.26 को थानेदार जी ने मेरे से 12,000 रूपये प्राप्त कर अपने पहनी हुई वर्दी के पेंट के दाहिने जेब में रख लिये एवं तुरंत ही रूपये पेंट की जेब से निकालकर वर्दी की शर्ट की सामने की दाहिने जेब में रख लिये जिसका इशारा मैंने आपको कर दिया। इस पर गवाह श्री ध्रुव कुमार शर्मा से आरोपी प्रवीण कुमार भारद्वाज सहायक उप निरीक्षक की पहनी हुई वर्दी की शर्ट की तलाशी लिवाई गई तो शर्ट की दांयी जेब में 500-500 रूपये के नोटों की गड्डी दिखाई गई जिसे गवाह द्वारा निकलवाया जाकर पूर्व में बनाई गई फर्द से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। उक्त रिश्वत राशि को गवाह श्री ध्रुव कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाया गया। जहां अग्रिम कार्यवाही करते हुए ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास व तामचीनी के कटोरा को निकलवाकर थाना अधिकारी रूपवास के कक्ष में रखी हुई पानी की बोतल में बाथरूम में लगे हुए नल से पानी मगवा कर गिलासों को साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर स्वतंत्र गवाह श्री ब्रजकिशोर से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में प्रवीण कुमार भारद्वाज सहायक उप निरीक्षक के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया व तामचीनी के कटोरा को साफ करवाया गया एवं पुनः ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी प्रवीण कुमार भारद्वाज सहायक उप निरीक्षक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया व तामचीनी के कटोरा को साफ करवाया गया । तत्पश्चात पुनः श्री ब्रजकिशोर से ट्रेप

बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी प्रवीण कुमार भारद्वाज सहायक उप निरीक्षक के वर्दी के पहने हुए पेंट को उतरवाकर दूसरा पायजामा टीशर्ट मंगवाकर पहनवाकर वर्दी के पेंट की दांयी जेब को उल्टा कर डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पीपी-1 व पीपी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया व तामचीनी के कटोरा को साफ करवाया गया तथा पैंट को सुखवाकर दांहिने जेब पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराकार पैंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील मौहर किया जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराकार मार्क पी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। पुनः श्री ब्रजकिशोर से ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी प्रवीण कुमार भारद्वाज सहायक उप निरीक्षक के वर्दी की शर्ट को उतरवाकर ,टीशर्ट मंगवाकर पहनवाकर वर्दी की शर्ट के दांयी जेब को उल्टा कर डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एसपी-1 व एसपी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया व तामचीनी के कटोरा को साफ करवाया गया तथा शर्ट को सुखवाकर दांहिने जेब पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराकार शर्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील मौहर किया जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराकर मार्क एस अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री ध्रुव कुमार शर्मा के पास पूर्व से रखी हुई रिश्वत राशि 12,000 रूपये के नम्बरों को पुनः पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाए गये जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी तत्पश्चात आरोपी प्रवीण कुमार सहायक उप निरीक्षक से परिवादी से सम्बधित पत्रावली के सम्बंध में पूछा तो आरोपी ने अपने कक्ष से परिवादी के विरूद्ध व परिवादी के भाई द्वारा दर्ज प्रकरण सं. 54/26 व 55/26 की मूल पत्रावली पेश की। आरोपी प्रवीण कुमार भारद्वाज सहायक उप निरीक्षक का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता रिश्वत राशि बरामदगी, हाथ धुलाई व वर्दी धुलाई की कार्यवाही की विडियो ग्राफी सरकारी विडियो कैमरा से श्री गोकुलेश कानि0 द्वारा कराई गई। जिसकी सीडी पृथक से जरिये फर्द तैयार की जावेगी। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.45 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी प्रवीण कुमार भारद्वाज पुत्र स्व. श्री किरोडीलाल उम्र 49 साल जाति ब्राहम्ण निवासी कल्याण कोलोनी बयाना पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री अजय कुमार से उसके व उसके परिवारजन के विरूद्ध दर्ज मुकदमा नम्बर 55/26 में से नाम निकालने की एवज में 15000 रूपये की मांग करना एवं परिवादी के निवेदन करने पर 12000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व आज दिनांक को रिश्वत राशि 12000 लेते हुए पकडा जाने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री ध्रुव कुमार से लिवाई गई तो आरोपी के पास पहने हुए कपडों के अलावा कुछ नही मिला। आरोपी के गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार आरोपी के भाई प्रदीप कुमार को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.15 पीएम पर गवाहान के समक्ष आरोपी ने अपने कक्ष से प्रकरण सं. 54/26 एवं 55/26 की मूल पत्रावली पेश की गई पत्रावलियों का आवलोकन किया गया तो एक पत्रावली जिसके पृष्ठ पर प्रकरण सं. 55/26 व घटना दिनांक व कायमी दिनांक 02.02.26 अंकित है एवं घटनास्थल नानकपुर आदि विवरण अंकित है उक्त प्रकरण किशनसिंह द्वारा परिवादी व परिवादी के परिवार जनों के विरूद्ध दर्ज है। उक्त पत्रावली में पेज 01 लगायत 76 है। दूसरी पत्रावली जिसके पृष्ठ पर प्रकरण सं. 54/26 व घटना दिनांक व कायमी दिनांक 02.02.26 अंकित है एवं घटनास्थल नानकपुर आदि विवरण अंकित है उक्त प्रकरण परिवादी के भाई लेखराज द्वारा दर्ज कराया गया है।इस पत्रावली के पृष्ठ के ऊपर रिमांड फार्म लगा हुआ है। पत्रावली में पेज सं. 01 लगायत 129 है। उक्त दोनो पत्रावलीयों की प्रकरण हाजा में वजह सबूत आवश्यकता होने पर एवं परिवादी से सम्बंधित कार्य में देरी नही होने के कारण उक्त दोनो पत्रावलीयों की फोटोप्रति कराई जाकर फोटोप्रतियों को थानाधिकारी श्री विनोद कुमार मीना द्वारा प्रमाणित करवाया जाकर एवं प्रमाणित पत्रावलीयों के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर दोनो पत्रावलीयों को कार्यवाही हाजा में जब्त किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं दोनों मूल पत्रावलीयों को थानाधिकारी श्री विनोद कुमार मीना को सुपुर्द किया जाकर परिवादी के वैध कार्य करने की हिदायत दी गई। फर्द जब्ती रिकॉर्ड पृथक से मूर्तिब की

जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.00 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में लाईटों की रोशनी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद सयम 09.40 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी प्रवीण कुमार भारद्वाज मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जाब्ता मय शील्डशुदा रिश्वत राशि 12,000 रूपये मय धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों के रवाना होकर एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा जहां जब्तशुदा रिश्वत राशि 12,000 रूपये एवं धोवन की शील्ड शीशियां कुल आठः , शील्ड पैकिटों को मुताबिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री रविकुमार हैडकानि नं. 52 को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। वॉईस रिकॉडर व मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखावाया गया। तत्पश्चात समय 10.20 पीएम पर श्री रीतराम िंसह सहायक उप निरीक्षक मय श्री विनोद सिंह कानि., राजेन्द्र सिह कानि. मय गिरफ्तारशुदा आरोपी प्रवीण कुमार भारद्वाज मय सरकारी गाडी के वास्ते कराने बन्द हवालात पुलिस थाना मथुरा गेट बाद हिदायत रवाना करने पर समय 10.40 पीएम पर बाद कराकर गिरफ्तारशुदा आरोपी प्रवीण कुमार भारद्वाज को बन्द हवालात पुलिस थाना मथुरा गेट से वापस आया। दोनो स्वतंत्र गवाहान कल दिनांक 24.03.26 को 10.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया एवं परिवादी को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 24.03.26 को समय 10.55 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा दोना स्वतंत्र गवाहान ध्रुवकुमार शर्मा एवं ब्रजकिशोर उपस्थित कार्यालय आए जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 11.00 एएम पर वक्त वॉइस रिकॉडर व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 21.03.26 एवं दिनांक 22.03.26 के मैमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 11.10 एएम पर परिवादी अजय कुमार व आरोपी प्रवीण कुमार भारद्वाज सहायक उप निरीक्षक पुलिस थान रूपवास जिला भरतपुर के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 21.03.26 एवं दिनांक 22.03.26 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार की गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 12.50 पीएम पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 21.03.26 एवं दिनांक 22.03.26 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 01.00 पीएम पर वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 23.03.26 के माईक्रो एसडी कार्ड को वॉईस रिकॉडर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है, से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 01.10 पीएम पर परिवादी अजय कुमार से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी प्रवीण कुमार भारद्वाज सहायक उप निरीक्षक के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडियॉ तैयार की गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रतियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम-1" अंकित कर सील मौहर करवाकर

कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 03.00 पीएम पर वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 23.03.26 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 03.10 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री गोकुलेश कानि. नं. 454 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी, हाथ धुलाई व वर्दी धुलाई की विभागीय वीडियो कैमरा द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी की तीन सीडी तैयार की जाकर सीडीयों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर मूल प्रति एवं मुल्जिम प्रति सीडी को सफेद कपडे की थैलियों में अलग- अलग रखकर थैलियों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं एक सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। शील्ड सीडी को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। इसके बाद समय 03.30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 79 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री ब्रजकिशोर को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी प्रवीण कुमार भारद्वाज उर्फ प्रवीण कुमार शर्मा सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री अजय कुमार से उसके भाई श्री लेखराज द्वारा दर्ज कराए गये मुकदमें में मदद करने एवं परिवादी व परिवादी के परिवारजनों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 55/26 में से नाम निकालने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.03.26 को 15000 रूपये की मांग करना एवं परिवादी के निवेदन करने पर 12000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना एवं उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक23.03.26 को परिवादी से रिश्वत राशि 12000 रूपये प्राप्त कर अपने पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की दांहिनी जेब में रखना व कुछ समय पश्चात रिश्वत राशि को पेंट की जेब से निकालकर पहनी हुई वर्दी की शर्ट की दाहिनी जेब मे रखना जहां से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रवीण कुमार भारद्वाज उर्फ प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र स्व.श्री किरोडीलाल उम्र 49 साल जाति ब्राहम्ण निवासी कल्याण कोलोनी बयाना पुलिस थाना बयाना, जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, थाना रूपवास, जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञानचन्द मीना, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 823 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 560-63 दिनांक 25.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ghyan Chand Meena **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/03/2026 20:15:54

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)